

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 796 / 2004

संस्थित दि.: 27 / 09 / 2004

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.) अभियोगी

विरुद्ध

1. तिहारीराम पिता रानूराम यादव

साकिन सिन्धी कालोनी राधेश्याम ड्रायवर का मकान दुर्ग लाना (फरार)

2. शिवकुमार पिता हेमराज कुमरे उम्र 46 साल,

साकिन ग्राम उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(दिनांक—09 / 03 / 2015 को घोषित)

(01) आरोपी शिवकुमार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप है कि आरोपी शिवकुमार ने दिनांक 29.07.2004 को समय 14—30 बजे ग्राम जगनटोला प.ह.नं. 26 मैग्नीज खदान उकवा थाना रूपझर अन्तर्गत में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाला) बालाघाट के आदेश क्रमांक 904/ख.लि.—3/003, बालाघाट दिनांक 23.07.2003 की निरस्ती के पश्चात् भी खान प्रबंधक अनुमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से खनन कार्य कर ट्रक क्रमांक सी.जी.07—जे.डी.3765 के मैग्नीज भरकर मैग्नीज प्रबंध के कब्जा से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार

बैहर के.एस. ठाकुर द्वारा अवैध मैंगनीज चोरी की सूचना पर कॉपर चक मलाजखंड में ट्रक क्रमांक सी.जी. 07 जेड.सी. 3765 को चैक किया गया तो ट्रक में ग्राम घोंदी (जगनटोला) उकवा के शिवकुमार कुम्हारे की खदान से चोरी का अवैध उत्खनन कर मैंगनीज परिवहन कर ले जाया जा रहा था। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट के आदेश क्रमांक /ख.लि-3/2004 बालाघाट, दिनांक 26.7.2004 द्वारा शिवकुमार कुम्हारे को ग्राम घोंदी जगनटोला की खदान की जारी लीज निरस्त कर दिया गया था। उक्त ट्रक को साक्षी चरणदास कोटवार, कालूराम भृत्य के समक्ष वाहन चालक तिहारीराम व. रानूराम सा. सिंधी कॉलोनी दुर्ग से जप्त कर नायब तहसीलदार द्वारा उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट थाना मलाजखंड में किए जाने पर थाना मलाजखंड में धारा-379 भा.दं.वि. के तहत शून्य अपराध कायम किया गया तथा घटनास्थल थाना रूपझर के अंतर्गत होने से असल अपराध पंजीबद्ध किए जाने बाबत केस डायरी थाना रूपझर भेजी जाने पर अपराध क्रमांक 197/04, धारा-379 भा.दं.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-379/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी शिवकुमार को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ)** क्या आरोपी शिवकुमार ने दिनांक 29.07.2004 को समय 14-30 बजे ग्राम जगनटोला प.ह.नं. 26 मैंगनीज खदान उकवा थाना रूपझर अन्तर्गत में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाला)

बालाघाट के आदेश क्रमांक 904/ख.लि.
 -3/003, बालाघाट दिनांक 23.07.2003 की
 निरस्ती के पश्चात् भी खान प्रबंधक अनुमति के
 बिना सदोष अभिलाष प्राप्त करने के आशय से
 खनन कार्य कर ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.
 3765 के मैग्नीज भरकर मैग्नीज प्रबंध के कब्जा
 से हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी के.के.ब्रम्हे (अ.सा. 13) का कहना है कि दिनांक 29.07.2004 को थाना मलाजखण्ड में नायब तहसीलदार बैहर का लिखित आवेदन एवं उसके साथ जप्ती पत्रक आदेश की छायाप्रति खनिज शाखा और चालक का बयान प्राप्त होने पर उसने आरोपी तिहारीराम के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/04 धारा 379 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-09 लेख किया था एवं प्रदर्श पी-09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर दस्तावेज सहित भेजा था।

(07) अभियोजन साक्षी गुड्डू बनवाले (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 29.07.2004 को अपराध क्रमांक 0/04 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. की केश डायरी पुलिस थाना रूपझर ले जाकर सौंपी थी। दिनांक 30.07.2004 को उसके समक्ष ए.एस.आई. पटेल थाना रूपझर ने आरोपी तिहारीराम से एक अनुज्ञापत्र, एक बीमा पालिसी, एक आर.सी.बुक की फोटो कापी, एक अभिवाहन पास, एक फार्म नम्बर 75, एक बिल चालान, एक बिल्टी पेपर तथा आरोपी तिहारीराम का ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(08) अभियोजन साक्षी डी.पी.पटेल (अ.सा. 12) का कहना है कि दिनांक 30.07.2004 को अपराध क्रमांक 0/04 धारा 379 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 के चालक के तिहारीराम विरुद्ध असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-06 लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी तिहारीराम से जप्ती पत्र प्रदर्श पी-04 के अनुसार

साक्षियों के समक्ष ट्रक से संबंधित कागजात अनुज्ञापत्र, बीमा, आर.सी.बुक, परिवहन पास एक बिल, बिल्टी, ड्रायविंग लायसेंस, फार्म नम्बर 75 जप्त किया था। दिनांक 03.08.2004 को आरोपी शिवकुमार से टी.पी.बुक जप्ती पत्र प्रदर्श पी-09 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था। दिनांक 08.08.2004 को आरोपी तिहारीराम से एक ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 जिसमें मैग्नीज गिट्टी करीब दस टन भरा था जिसे तहसीलदार द्वारा जप्त किया गया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 है। दिनांक 08.09.2004 को तहसीलदार के.एल.ठाकुर, कालूराम, चरणदास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 10.08.2004 को साक्षियों के समक्ष मौके का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। साक्षी नारायण, मंगल, लुकेश, भगतसिंह, देवीलाल, गुलाब के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी शिवकुमार के विरुद्ध मैग्नीज खदान से संबंधित जानकारी कलेक्ट्रेट बालाघाट से प्राप्त हुई थी जिसमें मैग्नीज डम्प निरस्त किये जाने की सूचना का उल्लेख था एवं उक्त दस्तावेज प्रकरण में संलग्न किये थे। आरोपी तिहारीराम से दिनांक 30.07.2004 एवं आरोपी शिवकुमार से दिनांक 15.08.2008 को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 एवं 08 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को प्रेषित किया था।

(09) अभियोजन साक्षी सुभानसिंह (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने दिनांक 27.07.2004 को पटवारी हल्का नं. 28 रूपझर में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुये खसरा नम्बर 37/05 पांचसाला खसरा फार्म एवं नक्शा दिया गया था। उक्त भूमि शासकीय है जिसमें मैग्नीज खदान है जो क्रमशः प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 है।

(10) अभियोजन साक्षी कालूराम (अ.सा. 5) का कहना है कि वह दिनांक 29.07.2004 को तहसील ऑफिस बैहर में भृत्य के पद पर पदस्थ था। उसके सामने कभी मैग्नीज गिट्टी से भरा ट्रक जप्त नहीं हुआ था।

(11) अभियोजन साक्षी नारायण प्रसाद (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी वारिश के समय की है। उसे आरोपी शिवकुमार बुलाकर लाया था और बोला था कि गिट्टी भरना है वह उसके साथी गुलाब और

अन्य 6-7 लोगों के साथ गिट्टी खदान गया था। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी और न ही मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। किन्तु साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बतला दिया था कि ट्रक में दस टन गिट्टी भरी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष दिनांक 10.08.2004 को शाम के 05:00 बजे मौका नक्शा बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

(12) अभियोजन साक्षी मंगल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने शिवकुमार के कहने पर ट्रक में गिट्टी भरी थी एवं जिस ट्रक में गिट्टी भरी थी उसका नम्बर सी.जी.07-जेड.सी.3765 था जिसमें दस टन गिट्टी भरी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि शिवकुमार उसने गिट्टी भरने के लिये 250/- देता था।

(13) अभियोजन साक्षी भगतसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 4-5 पांच पुरानी दिन के समय की है। वह तथा देवीलाल व अन्य लोग ट्रक में मैग्नीज खाली करने रूपझर थाने गये थे। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की और न ही कोई बयान लिया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को उसे देवीलाल ने बुलाया और कहा कि शिवकुमार की खदान से मैग्नीज भरना है एवं पश्चात् में वह नारायण के घर गया था जहां पर नारायण और शिवकुमार मिले थे। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि शिवकुमार ने सी.जी.07-जेड.सी.3675 में करीब दस टन मैग्नीज गिट्टी भरे और 250/- दिये। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था।

(14) अभियोजन साक्षी देवीलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे घटना के

संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 29.07.2004 को शिवकुमार उसके पास आया और ट्रक में खदान से गिट्टी भरने को कहा। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि शिवकुमार के साथ खदान पर गया था और उसे 250/- मजदूरी प्राप्त हुई थी एवं उसने पुलिस को बयान दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था या नहीं।

(15) अभियोजन साक्षी लुकेश उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसे व मंगल, गुलाब और भगतसिंह को देवीलाल ने बुलाया था एवं देवीलाल ने बताया था कि आरोपी शिवकुमार की खदान से ट्रक में मैग्नीज गिट्टी भरना है तथा वहां से वह लोग नारायण के घर गये थे तो वहां पर नारायण और शिवकुमार मिले थे। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने आरोपी शिवकुमार के बताये अनुसार ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 में चालीस टन गिट्टी भरे थे और ट्रक में गिट्टी भरने के लिये उसे शिवकुमार ने 250/- मजदूरी दिया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-01 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया।

(16) अभियोजन साक्षी चरणदास (अ.सा. 7) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने तहसीलदार के साथ ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 को रोक कर चेक किये थे जिसमें तिहारीराम मिला था एवं उसने पुलिस को तिहारीराम ने शिवकुमार की खदान से मैग्नीज भरना बताया था। साक्षी को प्रदर्श पी-02 का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन देने से इन्कार किया।

(17) अभियोजन साक्षी जीवनसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि वह दिनांक 30.

07.2004 को मलाजखण्ड थाने में था। पुलिस वालों ने उससे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। किस संबंध में करवाये थे उसे इसकी जानकारी नहीं है।

(18) अभियोजन साक्षी फागुलाल टेकाम (अ.सा. 9) का कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसके समक्ष आरोपी शिवकुमार से परिवहन पास जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया गया था।

(19) अभियोजन साक्षी गणेश कुन्जाम (अ.सा. 11) का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी तिहारीराम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 उसके समक्ष तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी यह स्वीकार किया है कि उसने समक्ष ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 में मैग्नीज गिट्टी करीब दस टन भरी हुई थी जो जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 के अनुसार जप्त की गई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था या नहीं।

(20) बचाव साक्षी शिवकुमार कुमरे (ब.सा. 1) का कहना है कि वह ग्राम पंचायत भौंदी जगनटोला खसरा नम्बर 37/5 रकबा 1.75 एकड़ भूमि मैग्नीज डम्प की लीज कलेक्टर बालाघाट की खनिज शाखा से दो वर्षों की दिनांक 21.10.2003 से 20.10.2005 तक मिली थी। लीज मिलने का आदेश प्रदर्श डी-01 है। लीज मिलने के उपरान्त वह मैग्नीज एकत्रीकरण कर उसकी विक्री का कार्य करने लगा। उक्त संबंध में कलेक्टर खनिज शाखा से उसे परिवहन पास जारी किये गये थे। दिनांक 29.07.2004 को उसने परिवहन पास के माध्यम से ग्राम भौंदी से रायपुर मैग्नीज का परिवहन कर रहा था तो मलाजखण्ड में नायब तहसीलदार ठाकुर ने यह कहकर कि उसकी लीज निरस्त हो गई है उसका मैग्नीज जप्त कर लिया। दिनांक 29.07.2004 को उसे लीज निरस्ती की जानकारी नहीं थी। लीज निरस्ती की जानकारी उसे 31.07.2004 को हुई थी। कलेक्टर बालाघाट का लीज निरस्ती का प्रपत्र प्रदर्श डी-02 है एवं प्रदर्श डी-03 उक्त प्रपत्र का लिफाफा है। प्रदर्श डी-02 एवं प्रदर्श डी-03 दिनांक 30.07.

2004 को बालाघाट से डाक से उसे प्रेषित किया गया था जो उसे दिनांक 31.01.2004 को उसके उकवा पते पर प्राप्त हुआ था। दिनांक 29.07.2004 को उसकी लीज वैध थी।

(21) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। उन्हें मैग्नीज डम्प की लीज कलेक्टर बालाघाट की खनिज शाखा से दो वर्षों की दिनांक 21.10.2003 से 20.10.2005 तक मिली थी। लीज मिलने के उपरान्त वह मैग्नीज एक्त्रीकरण कर उसकी विक्री का कार्य करने लगा। उक्त संबंध में कलेक्टर खनिज शाखा से उसे परिवहन पास जारी किये गये थे। दिनांक 29.07.2004 को उसने परिवहन पास के माध्यम से ग्राम भौंदी से रायपुर मैग्नीज का परिवहन कर रहा था तो मलाजखण्ड में नायब तहसीलदार ठाकुर ने यह कहकर कि उसकी लीज निरस्त हो गई है उसका मैग्नीज जप्त कर लिया। दिनांक 29.07.2004 को उसे लीज निरस्ती की जानकारी नहीं थी। लीज निरस्ती की जानकारी उसे 31.07.2004 को हुई थी। दिनांक 30.07.2004 को बालाघाट से डाक से उसे प्रेषित किया गया था जो उसे दिनांक 31.01.2004 को उसके उकवा पते पर प्राप्त हुआ था। दिनांक 29.07.2004 को उसकी लीज वैध थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(23) अभियोजन साक्षी के.के.ब्रम्हे (अ.सा. 13) का कहना है कि दिनांक 29.07.2004 को थाना मलाजखण्ड में नायब तहसीलदार बैहर का लिखित आवेदन एवं उसके साथ जप्ती पत्रक आदेश की छायाप्रति खनिज शाखा और चालक का बयान प्राप्त होने पर आरोपी तिहारीराम के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/04 धारा 379 भा.दं. वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-09 लेख किया था एवं प्रदर्श पी-09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल नम्बरी हेतु दस्तावेज सहित गुड्डू बनवाले (अ.सा. 10) द्वारा थाना रूपझर भेजा था।

(24) अभियोजन साक्षी डी.पी. पटेल (अ.सा. 12) का कहना है कि अपराध क्रमांक 0/04 धारा 379 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन ट्रक क्रमांक सी.जी.

07-जेड.सी.3765 के चालक के तिहारीराम विरुद्ध असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-06 लेख किया गया था। उसने आरोपी तिहारीराम से जप्ती पत्र प्रदर्श पी-04 के अनुसार साक्षियों के समक्ष ट्रक से संबंधित कागजात अनुज्ञापत्र, बीमा, आर.सी.बुक, परिवहन पास एक बिल, बिल्टी, ड्रायविंग लायसेंस, फार्म नम्बर 75 जप्त किया था। दिनांक 03.08.2004 को आरोपी शिवकुमार से टी.पी.बुक जप्ती पत्र प्रदर्श पी-09 अनुसार जप्त किया था। दिनांक 08.08.2004 को आरोपी तिहारीराम से एक ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जेड.सी.3765 जिसमें मैग्नीज गिट्टी करीब दस टन भरा था जिसे तहसीलदार द्वारा जप्त पत्रक प्रदर्श पी-05 द्वारा जप्त किया था। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा दिनांक 10.08.2004 को मौके का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। आरोपी शिवकुमार के विरुद्ध मैग्नीज खदान से संबंधित जानकारी कलेक्ट्रेट बालाघाट से प्राप्त हुई थी जिसमें मैग्नीज डम्प निरस्त किये जाने की सूचना का उल्लेख था एवं उक्त दस्तावेज प्रकरण में संलग्न किये थे। आरोपी तिहारीराम, शिवकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07, 08 तैयार किया था। अभियोजन साक्षी सुभानसिंह (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने खसरा नम्बर 37/05 पांचसाला खसरा फार्म एवं नक्शा दिया गया था। उक्त भूमि शासकीय है जिसमें मैग्नीज खदान है जो क्रमशः प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 है।

(25) किन्तु प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र अभियोजन साक्षी कालूराम (अ.सा. 5) का कहना है कि उसके सामने कभी मैग्नीज गिट्टी से भरा ट्रक जप्त नहीं हुआ था। नारायण प्रसाद (अ.सा. 1) का कहना है कि पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी और न ही मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। मंगल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। भगतसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की और न ही कोई बयान लिया। देवीलाल (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था या नहीं।

लुकेश उयके (अ.सा. 6) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-01 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। चरणदास (अ.सा. 7) का भी कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जीवनसिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि पुलिस वालों ने उससे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। किस संबंध में करवाये थे उसे इसकी जानकारी नहीं है। फागुलाल टेकाम (अ.सा. 9) का कहना है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। गणेश कुन्जाम (अ.सा. 11) का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी तिहारीराम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त ट्रक को आरोपी तिहारीराम चला रहा था या नहीं। उपरोक्त अभियोजन साक्षी नारायण प्रसाद (अ.सा. 1), मंगल (अ.सा. 2), भगतसिंह (अ.सा. 3), देवीलाल (अ.सा. 4), कालूराम (अ.सा. 5), लुकेश उयके (अ.सा. 6), चरणदास (अ.सा. 7), जीवनसिंह (अ.सा. 8), फागुलाल टेकाम (अ.सा. 9), गणेश कुन्जाम (अ.सा. 11) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी उनके द्वारा अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया गया है। जिससे आरोपी ने ग्राम जगनटोला प.ह.नं. 26 मैग्नीज खददान उकवा थाना रूपझर अन्तर्गत में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाला) बालाघाट के आदेश क्रमांक 904/ख.लि.-3/003, बालाघाट दिनांक 23.07.2003 की निरस्ती के पश्चात् भी खान प्रबंधक अनुमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से खनन कार्य कर ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.3765 के मैग्नीज भरकर मैग्नीज प्रबंध के कब्जा से हटाकर चोरी कारित की, यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(26) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि शिवकुमार ने दिनांक 29.07.2004 को समय 14-30 बजे ग्राम जगनटोला प.ह.नं. 26 मैग्नीज खददान उकवा थाना रूपझर अन्तर्गत में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाला) बालाघाट के आदेश क्रमांक 904/ख.लि.-3/003, बालाघाट दिनांक 23.07.2003 की निरस्ती के पश्चात् भी खान प्रबंधक अनुमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से खनन कार्य

कर ट्रक क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.3765 के मैग्नीज भरकर मैग्नीज प्रबंध के कब्जा से हटाकर चोरी कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपी-शिवकुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपी-शिवकुमार पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(29) प्रकरण में सहआरोपी-तिहारीराम फरार होने की दशा में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)